

**न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं  
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता  
(राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)  
आप. विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 66/2026  
CIS NO 66/2026

...

समीर पठान पुत्र श्री रहमान खां, आयु 26 वर्ष, निवासी थांवला, हाल मेड़ता सिटी, पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

**::विरुद्ध::**

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेड़ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023  
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 36/2026 थाना थांवला।  
अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट

**उपस्थित-**

- 1-श्री रणवीर सिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
- 2-श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक,राज्य की ओर से।

**::आदेश::**

**दिनांक 10.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त समीर पठान की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना थांवला पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2026 में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, तथाकथित मादक पदार्थ से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। बताई गई मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्र से कम है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।
3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।
4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अनुसंधान पत्रावली के अनुसार इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट के अपराध का आरोप है, जिसमें

दिनांक 25.02.2026 को पुलिस थाना थांवला के थानाधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त समीर व प्रकरण के सह अभियुक्तगण के कब्जे से 60 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं परमिट के बरामद हुआ है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त से जप्तशुदा मादक पदार्थ स्मैक वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति के लिये 01,00,000/-रूपये का स्वयं का बंध पत्र एवं 50,000/-, 50,000/-रूपये की दो जमानतें इस न्यायालय के समक्ष, न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरुण कुमार बेरीवाल)

विशिष्ट न्यायाधीश

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

(सत्र न्यायाधीश)

मेड़ता।

7. आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

(सत्र न्यायाधीश)

मेड़ता।